ग्रामीण क्षेत्र में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड

▶ दृश्यता प्रभावित बुजुर्गों और बच्चों के लिए बढ़ा खतरा, लोगों से एहतियात व सावधानी रखने की अपील

नवभारत बेलखाड़ू (जबलपुर)। शुक्रवार सुबह बेलखाड़ू क्षेत्र घने कोहरे की मोटी चादर में ढका रहा। दृश्यता इतनी कम रही कि सड़क पर वाहन रफ्तार कम रखते हुए लाइट जलाकर चलते दिखाई दिए। तेज ठंड ने लोगों को कंपा दिया और सुबह सूर्यदेव धुंध के पीछे एक हल्के बल्ब की तरह दिखाई दिए। आमतौर पर सुबह काम पर निकलने वाले लोग भी आज कम दिखे। कई जगहों पर अलाव जलाकर लोग आग तापते नजर आए।

मौसम का हाल न्यूनतम तापमान 7-9°c अधिकतम तापमान 19-21°c ,हवा की गति: 4-6 किमी/घंटा ,दृश्यता कुछ इलाकों में सिर्फ 50-100 मीटर पाई गई।

मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक इसी प्रकार घना कोहरा और ठंड बने रहने की संभावना है।

बुजुर्गों और बच्चों के लिए बढ़ा खतरा

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक इतनी ठंड और कोहरे में बुजुर्गों में सांस संबंधी समस्याएं,जोड़ों का दर्द,हाइपोथर्मिया (शरीर का सामान्य तापमान नीचे होना),व ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है। वहीं बच्चों में सर्दी-जुकाम,ब्रोंकाइटिस,और ठंड लगने की स्थिति जल्दी बन सकती है।

▶ विशेषज्ञों की सलाह , एहतियात बरतें

स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ जी आर भगत, डॉ संदीप नगाइच ने लोगों से सतर्क रहने और कुछ सावधानियाँ अपनाने की अपील की है खासकर बुजुर्ग व बच्चे सुबह-शाम घर से निकलने से बचें। बाहर निकलें तो गरम कपड़े, मफलर, टोपी और दस्ताने जरूर पहनें। गुनगुना पानी पीते रहें और शरीर को गर्म रखें। घर में हल्की धूप लगने दें या सुरक्षित तरीके से आग/ हीटर का उपयोग करें। जिन लोगों को अस्थमा, हृदय रोग या ब्लड प्रेशर की समस्या है, वे दवाइयाँ समय पर लें और लक्षण बढ़ने पर डॉक्टर से संपर्क करें ।

शहर से ट्रांसपोर्ट हटाने का निर्णय स्वागत योग्य , लोगों को मिलेगी राहत

बड़ा फुहारा, पांडे चौक ,उखरी, चेरीताल सहित 17-18 कॉलोनियों को मिलेगा लाभ

जबलपुर नवभारत। विकास दिवस एस ए आर की डिजिटाइजेशन कार्य की जांच करने हेतु जब जिला कलेक्टर राघवेंद्र सिंह एवं आयुक्त नगर निगम राम प्रकाश अहिरवार बलदेव बाग में स्थित नगर निगम के जोन क्रमांक 5 में पहुंचे तो उन्होंने पाया ।वहां पर कुछ ट्रांसपोर्ट रोड और ट्रक मालिकों के द्वारा नगर निगम के मैदान पर एवं सड़क पर अवस्थित रूप से माल रखा गया है और वहां पार्क किए गए हैं। इस कारण से आम जनता को वहां आने-जाने में काफी परेशानी हो रही है। इस समस्या पर तत्काल कलेक्टर राघवेंद्र सिंह आयुक्त नगर निगम राम प्रकाश अहिरवार को सख्त कदम उठाने के लिए निर्देशित किया। आयुक्त श्री अहिरवार ने तत्काल उद्यान विभाग के अधिकारियों को नगर निगम जोन कार्यालय के सामने लंबे समय से कब्जा कर माल भरने का कार्य कर रहे लोगों के खिलाफ चालानी कार्यवाही करने के निर्देश दिए , साथ ही तत्काल नगर निगम के इस मैदान को सुरक्षित करने की दृष्टि से चारों तरफ से फेंसिंग करने के लिए निर्देशित किया। उद्यान विभाग की ओर से नगर निगम आयुक्त के आदेश के परिपालन में तत्काल दूसरे दिन यहां पर फेंसिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इस कार्य से इस मुख्य मार्ग से गुजरने वाले प्रतिदिन के लाखों लोगों को जिनकी अनुमानित संख्या 2 से 3 लाख प्रतिदिन की बताई जाती है को राहत मिलेगी।

मरम्मत के लिए बंद किया एस्केलेटर

जबलपुर, नवभारत। शुक्रवार को मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक छह पर लगे एस्केलेटर की मरम्मत के लिए पूरे दिन बंद रखा गया। एस्केलेटर के बंद हो जाने से बीमार ओर बुजुर्ग व्यक्तियों को प्लेटफार्म एक, दो और तीन, चार पर जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों द्वारा देर शाम तक एस्केलेटर का कार्य पूरा नहीं किया जा सका था। जिसके चलते यात्रियों को एस्केलेटर की सुविधा नहीं मिल रही थी।

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

प्रत्यर्थी को अपील की सूचना (नोटिस)

(अधिनियम क्रमांक 5,सन् 1908 का आदेश इकतालिस, नियम 14)

अपील क्रमांक MA/8691/2024 Process id: 226413/2025

Respondent No.5 By Publication Notice.

Fixed For- 05.12.2025 ON Admission.

Tata A.I.G. General Insurance Co.LTD.....अपीलार्थी savita Tiwari... प्रत्यर्थी

सन् 2020 के MACC क्रमांक 2020 मैं न्यायालय.. Shri Mohit Kumar, Jabalpur (madhya Pradesh) की डिक्री/ आदेश, दिनांक 26-09-2024 के विरूद्ध अपील। प्रति, Ajay Kumar S/o Gajraj Singh, R/o 1049/1, Siddhbaba Road Near Ramleela Maidan, District- Jabalpur (madhya Pradesh) प्रत्यर्थी। अपील की सुनवाई का दिनांक- कृपया सूचित करें कि ऊपर वर्णित अपील श्री Appellant द्वारा प्रस्तुत की गई और इस न्यायालय में पंजीयित की गई है तथा इस न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई का दिनांक 05-12-2025 नियत की गई है। आपत्तियां, प्रति आपत्तियां, यदि कोई हो, इस सूचना (नोटिस) के प्राप्त होने के दिनांक से एक महीने के भीतर फाइल की जानी चाहिए। कागजात तथा दस्तावेज फाइल करने का दिनांक- कृपया इस बात से भी सूचित हो कि आपसे यह भी अपेक्षित है कि आप दिनांक 05-12-2025 को या उससे पहले ऐसे कागजात और दस्तावेजों की, जो आप कागजातो करने का दिनांक की पुस्तक में शामिल करना चाहते है, एक सूची अपने स्वयं के खर्चे से तैयार करके इस न्यायालय में परिदत्त करें। सूची में ऐसे कागजात और दस्तावेजों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है जिन्हें इस न्यायालय के नियमों के अधीन शामिल किये जाने की बाध्यता है। सूची निम्नलिखित फार्म में होना चाहिये:- कागज का विवरण (दिनांक सुभेदक चिन्ह तथा पृष्ठ संख्या)(1) पूरा शामिल किया जाना है या उसका एक भाग शामिल किया जाना है(यदि कोई एक भाग शामिल किया जाना हो, तो पंक्तियों आदि का उद्धरण देते हुए स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करें)(2) कागजात की पुस्तक का पृष्ठ (कार्यालय में भरा जाय)(3) यदि आप कागजात की पुस्तक में कोई कागज शामिल नहीं करना चाहते हों, तो यह अपेक्षित है कि उक्त दिनांक 05-12-2025 को या उसके पहले एक रिक्त सूची फाइल करें। आपको अपील की सुनवाई के लिए नियत दिनांक को तैयार रहना चाहिए, किन्तु यदि न्यायालय के काम-काज के कारण अपील उस दिनांक को न्यायालय में न सुनी जा सके तो वह उसके बाद यथासाध्य शीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जायेगीं। यदि आपकी ओर से आप स्वयं, आपका वकील या इस अपील के संबंध में आपके लिए कार्य करने के लिये विधिवत् प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ, तो अपील आपकी अनुपस्थिति में सुनी जायेगी और निर्णय दिया जायेगा। अपील से संयत निचले न्यायालयों में अभिलेख इस न्यायालय में प्राप्त हो गए है और निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। आज दिनांक....को मेरे हस्ताक्षर और उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की मुहर से दिया गया।

(मुहर) **प्रधान सहायक, न्यायिक शाखा**

चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड

Chola Enter a better life

कॉर्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी-54 और सी-55, 4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइंडे, चेन्नई-600032 (तमिलनाडु)

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के अंतर्गत चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (सुरक्षित ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13 (12) के साथ नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी करते हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है. अधोहस्ताक्षरी का यह मानना है कि उधारकर्ता मांग सूचना की तामील से बच रहा है, इसलिए नियमों के अनुसार सूचना को चिपकाने और प्रकाशित करने से उसकी तामील प्रभावित हो रही है. मांग सूचना की विषय-वस्तु नीचे उद्धृत है:-

क्र.	उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का नाम एवं पता	ऋण राशि	डिमांड नोटिस की तिथिएवं बकाया राशि	संपत्ति/सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण
1.	**ऋण खाता नं.:** LAP3NHR000115636 **1. श्रीमान/श्रीमती मोहम्मद अफ़सर राईन** (उर्फ) मोहम्मद राईन **2. श्रीमान/श्रीमती तौसीफ़ा बानो** **3. श्रीमान/श्रीमती फ़ैज़ा खानम** **4. श्रीमान/श्रीमती मो.राजा** **पता-** पुत्र अब्दुल कदीर सुभाष वार्ड तहसील गाडरवारा गाडरवारा, नरसिंहपुर, निकट पीजी कॉलेज, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश - 487551. **इसके अलावा-** पी/ओ. ख. क्रमांक 131/1. 131/4, पी. मकान नंबर 99/18/1, एन.बी. क्रमांक 119, ब्लॉक साईंखेड़ा मौजा राजीव वार्ड, साईंखेड़ा, गाडरवारा, अशोक पैलेस मैरिज गार्डन, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश - 487551.	रु. 20,00,000/-	12.11.2025 रु.20,91,744/- (रु.बीस लाख इंक्यावन हजार सात सौ चवालीस मात्र) 12.11.2025 तक	पी/ओ. ख. सं. 131/1, 131/4/पी. एच. सं. 99/18/1, एन.बी. सं. 119, ब्लॉक साईखेड़ा मौजा राजीव वार्ड साईखेड़ा गाडरवारा नरसिंहपुर - 487551 मध्य प्रदेश. पता दस्तावेज के अनुसार-मौजा राजीव वार्ड गाडरवारा, एन.बी.119 पी.एच.एन. 99/18/1 ब्लॉक साईखेड़ा, आर.एन.आई.एम. एवं तहसील गाडरवारा नरसिंहपुर, पीजी कॉलेज के पास, 119, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश, लैंडमार्क-अशोक पैलेस मैरिज गार्डन, निकटतम चोला शाखा-नरसिंहपुर, निकटतम चोला शाखा से दूरी -50, **सीमाएँ- दिशा-निर्देश, योजना/विलेख/लेआउट के अनुसार-** पूर्व- 20 फीट रोड, पश्चिम- विक्रेता रोड का खुला स्थान, दक्षिण- विक्रेता का खुला स्थान, उत्तर- 17 फीट रोड. वास्तविक स्थल के अनुसार- पूर्व- रोड, पश्चिम- रोशनलाल जाटव का मकान, दक्षिण- मंजू चौकसे का मकान, उत्तर- रोड.

उधारकर्ताओं को एतद् द्वारा सलाह दी जाती है कि वे मांग सूचना का अनुपालन करें और उसमें और ऊपर उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय सहित भुगतान प्राप्ति की तिथि तक करें. उधारकर्ता ध्यान दें कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकर्ताओं द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है. यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सुरक्षित लेनदार अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्ज़ा लेने के सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का उपयोग करके उन्हें स्थानांतरित करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है. सुरक्षित लेनदार को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को कुर्क और/या सील करने का भी अधिकार है. सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, सुरक्षित लेनदार को बकाया राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य सुरक्षित लेनदार को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है. यह उपाय किसी भी अन्य कानून के तहत सुरक्षित लेनदार के लिए उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है. उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13 (8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय और धारा 13 (13) की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या लेन-देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यावसायिक गतिविधि के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित/निषिद्ध किया जाता है. उपरोक्त का पालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है. मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(ओं) यदि चाहें तो इसे अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्य दिवस में सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं.

स्थान: नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

दिनांक:- 12-11-2025

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

चोलामंडलम इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

पानी का छिड़काव शुरू, धूल से मिल रही राहत

नव भारत खबर का असर

नवभारत बेलखाड़ू (जबलपुर)। कटंगी रोड पर बेलखाड़ू एवं झगरा के नजदीक जबलपुर कटंगी मुख्य सड़क पर व्याप्त गड्ढों में वाहनों के आवागमन से उड़ने वाली धूल से ग्रामीण जन बेहद परेशान है।

समीपी झगरा, सिमरिया आदि गांव के किनारे से बृहद रिंग रोड निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, इसमें लगे बड़े ट्राला, डंफर, हाइवा आदि लोडिंग वाहनों से भी 24 घंटे धूल उड़कर दुकानों, घरों में प्रवेश कर रही है साथ ही बाहर खड़े वाहन भी धूल से सराबोर हो रहे हैं। क्षेत्र की जनता द्वारा बीते कई दिनों से उठाई जा रही धूल की समस्या अब दूर होने लगी है। स्थानीय सड़क पर उड़ती धूल से आमजन का जीवन परेशान हो गया था। राहगीरों, दुकानदारों, स्कूली बच्चों और वाहन चालकों को धूल भरी हवा में सफर करना मुश्किल हो रहा था। इसी समस्या को नवभारत ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसका असर अब साफ दिखाई देने लगा है।

नवभारत में खबर प्रकाशित होने के बाद संबंधित विभाग तथा ढ्रुस्ट कंपनी के अधिकारियों तक जनता की आवाज़ पहुँची। जानकारी मिलते ही कंपनी ने तत्काल प्रभाव से सड़क पर पानी का छिड़काव शुरू कराया, जिससे लोगों को धूल से काफी राहत मिली है।

मोतीनाला पुल चौड़ा करने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

नवभारत, जबलपुर। शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों को जोड़ने वाले गोहलपुर स्थित मोतीनाला पुल को चौड़ा करने की मांग शुक्रवार को फिर तेज हो गई। युवा कांग्रेस जबलपुर के कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक और व्यापारियों ने मोतीनाला पुल पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए पुल का

चौड़ीकरण अब बेहद जरूरी हो गया है।

इस अवसर पर शहर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सत्येंद्र कुकरेले सोनू नगर निगम नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा भानु यादव, जय ठाकुर, अभियुक्त वाजपेई, रोहित नेमा, दिलीप साहू, अन्नू तिवारी, राज विश्वकर्मा, सौरभ यादव, नितिन सिंह, मोंटी वंशकार, गोल्डी ठाकुर, पप्पी सोनी, कारण ठाकुर, सचिन जैन, अभिनव वाजपेई, शिशांत सिंह ठाकुर आदि मौजूद रहे।